पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द, आर.ए.एस.

(1) अपील सं. 2011/00387 (145/2011) 223 आर टी ए

दलेसिंह पुत्र री जयकरण जाति जाट निवासी डोबी तहसील भादरा

---अपीलांट

बनाम

1. रणपत पत्र लिछमण जाति जाट निवासी डोबी तहसील भादरा।
   - 1/1 मांगेराम पुत्र
   - 1/2 औमप्रकाश पुत्र
   - 1/3 खजानी पुत्री
   - 1/4 कमला पुत्री
   - 1/5 संतरो पुत्री

   } रणपत जाति जाट निवासी डोबी तहसील भादरा
   - 1/6 विद्या पत्नी निहालसिंह पुत्र रणपत जाति जाट निवासी डोबी तहसील भादरा
   - 1/7 राकेश पुत्र निहालसिंह पुत्र रणपत जाति जाट निवासी डोबी तहसील भादरा
   - 1/8 कान्ता पुत्री निहालसिंह पुत्र रणपत जाति जाट निवासी डोबी तहसील भादरा
   - 1/9 सुमन पुत्री निहालसिंह पुत्र रणपत जाति जाट निवासी डोबी तहसील भादरा
2. मु0 समा दुख्तर चैना मेघवंशी निवासी डोबी तह0 भादरा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा तहसील भादरा

---रेस्पोडेंटस

(2) अपील सं. 2013/00090 (89/2013) 223 आर टी ए

ज्ञानीराम पुत्र लिछमण जाति जाट निवासी डोबी तहसील भादरा जिला हनमानगढ।

---अपीलांट

बनाम

1. रणपत पत्र लिछमण जाति जाट निवासी डोबी तहसील भादरा।
   - 1/1 मांगेराम पुत्र
   - 1/2 औमप्रकाश पुत्र
   - 1/3 खजानी पुत्री
   - 1/4 कमला पुत्री
   - 1/5 संतरो पुत्री

   } रणपत जाति जाट निवासी डोबी तहसील भादरा
   - 1/6 विद्या पत्नी निहालसिंह पुत्र रणपत जाति जाट निवासी डोबी तहसील भादरा
   - 1/7 राकेश पुत्र निहालसिंह पुत्र रणपत जाति जाट निवासी डोबी तहसील भादरा
   - 1/8 कान्ता पुत्री निहालसिंह पुत्र रणपत जाति जाट निवासी डोबी तहसील भादरा
   - 1/9 सुमन पुत्री निहालसिंह पुत्र रणपत जाति जाट निवासी डोबी तहसील भादरा
2. दलेसिंह पुत्र री जयकरण जाति जाट निवासी डोबी तहसील भादरा
3. मु0 समा दुख्तर चैना मेघवंशी निवासी डोबी तह0 भादरा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा तहसील भादरा

---रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 29.06.2011 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी भादरा प्र0सं0 98/2003 अनवानी रणपत बनाम दलेसिंह

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित :–
श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता, अपीलाण्ट
श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं. 1/1 ता 1/9

निर्णय दिनांकः–07.03.2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 9 के पिता/पति ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 88 व 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत एक दावा पेश किया। दावा में राही मौजा डोबी तहसील भादरा के प्रश्नगत भूमि के घोषणा स्थाई एवं निषेधाज्ञा का अनुतोष मांगा गया। उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2011 के द्वारा वाद वादी डिक्री किया गया, जिससे व्यथित होकर उक्त एक ही आदेश के विरूद्ध दो अपीलें पेश हुई हैं।
2. दोनों अपीलों में समान पक्षकार होने एवं एक ही आदेश के विरूद्ध अपील होने एवं एक ही भूमि के संदर्भ में होने के कारण दोनों अपीलों की एक साथ बहस सुनी गई तथा एक साथ निर्णय किया जा रहा है।
3. अपील संख्या 89/2013 ज्ञानीराम बनाम रणपत के अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट द्वारा उनकी संख्या 1 ता 3 को साबित नही किया गया। मु. नं. 119 के किला नं. 24 की भूमि अपीलाण्ट के कब्जा काश्त में है जो पहले अपीलाण्ट के पिता क कब्जा काश्त में थी। यह भूमि अपीलाण्ट का अन्य भाईयों के साथ बंटवारा में मिली थी। यह भूमि मृतक रणपत के वारिसान के नाम खातेदार काश्तकार घोषित की गई है। जो विधि विरूद्ध है। इस आदेश से अपीलाण्ट के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अपीलाण्ट एक प्रभावित पक्षकार है जिसे सुनवाई का अवसर नही मिला है। भूमि पर बिना कब्जा किसी भी प्रकार से इस्तकराहक व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित नहीं की जा सकती। अपीलाण्ट कब्जा काश्त के आधार पर खातेदार काश्तकार हो चुका है। भूमि गलत रूप से आराजीराज दर्ज की गई है। अपीलाण्ट एक प्रभावित पक्षकार है। अपीलाधीन निर्णय का अपीलाण्ट को ज्ञान नहीं था। इसलिए डिले कन्डोन की जाकर अपीलाधीन निणय निरस्त फरमाया जावे।
4. अपील संख्या 2011/00387 दलेसिंह बनाम रणसिंह के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि मु. नं. 117 के किला नं. 21 की भूमि कभी भी रणपत व उसके वारिसान के कब्जा काश्त में नही रही। यह भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी की भूमि है। विवादित भूमि अपीलाण्ट की गैर खातेदारी थी तथा आज तक गैर खातेदारी दर्ज चली आ रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का कब्जा बिना किसी अधिकार के माना है। किला नं. 21 अपीलाण्ट का जुज है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।
5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट न अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट का यह कथन कि उसका प्रश्नगत भूमि पर कब्जा है स्वीकार योग्य नही है। कब्जे के आधार

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

पर किसी प्रकार के अधिकार सृजित नही होते हैं। यदि अपीलाण्ट का कब्जा भी है तो वो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

6. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. यह अपील उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर भादरा के निर्णय दिनांक 29.06.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा वाद वादी डिक्री किया गया है। इस डिक्री में मु. नं. 34 किला नं. 11 अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी भूमि है, जिसमें पूर्व में पुराना रिकार्ड दिया गया है उसके अनुसार कुछ वर्षो खुदकाश्त की दर्ज है। अनुसूचित जाति की जमीन को अन्य जाति के व्यक्ति को नहीं दी जा सकता। इससे धारा 42 का वायलेशन होता है। मु. नं. 119 की किला नं. 24. 25 काबिज काबिल काश्त सरकारी भूमि के रूप में हुये है। इस संबंध में कब्जे के संबंध में वर्ष 2031 से 34 की खसरा गिरदावरी अर्थात 3 वर्ष की काश्त के आधार पर निर्णय किया गया है। लगातार कब्जा काश्त के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नही है सिर्फ मौखिक व अपूर्ण बयानों के आधार पर डिक्री किया गया है। मु. नं. 117 किला नं. 21 की भूमि पर रणपत का कब्जा है। मु. नं. 131 किला नं. 20, 21 की जमीन जो वादी का कब्जा नहीं होकर दिगर व्यक्ति का कब्जा बताते हुए और खातेदार का कब्जा नही बताते हुए काबिल काश्त बताया गया है। उसके संबंध में दस्तावेज पेश नहीं है। उक्त तथ्य किसी तरह से प्रमाणित नहीं है। ऐसी स्थिति में जो डिक्री जारी की गई है वो उचित नहीं है। मु. नं. 117 के किला नं. 21 के अलावा अन्य भूमि के संबंध में आदेश जारी किया है। सरकारी भूमि की खातेदारी दी गई है जिसका भी कोई पर्याप्त दस्तावेजी आधार नही है। वह पर्याप्त साक्ष्य एवं सबूत के बिना सरसरी तौर पर जारी किये गये हैं। अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को खातेदारी देने का भी कोई आधार नही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय संशोधित किये जाने योग्य है।

8. उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में दिनांक 29.06.2019 में आंशिक संशोधित करते हुए मु. नं. 117 के किला नं. 21 के संबंध में जो आदेश जारी किया गया है वह यथावत रखा जाता है। अन्य भूमियों के संबंध में पारित आदेश के संबंध में कोई पर्याप्त साक्ष्य सबूत नही है। इन भूमियों के संबंध में पारित आदेश राज्य सरकार के नीति, नियम के विरूद्ध है अतः उक्त भूमियों के संबंध में पारित आदेश को खारिज किया जाना उचित है। अतः मु. नं. 117 के किला नं. 21 के संबंध में रेस्पोडेण्ट के पक्ष में जारी आदेश को यथावत रखते हुए अन्य भूमियों यथा मु. नं. 131 किला नं. 20, 21 मु. नं. 134 किला नं. 11, मु. नं. 119 किला नं. 24,25 के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अलग–अलग रखी जावे। दोनों पत्रावलियां निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

07/3/19

(मूल चन्द)आर..ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official